

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2021/27

1. श्रवण लाल मीणा पुत्र श्री कानाराम मीणा जाति मीणा आयु 59 वर्ष, निवासी कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान जरिये मुख्त्यार आम श्री कैलाश चंद मीणा पुत्र श्री बाबूलाल मीणा जाति मीणा आयु 39 वर्ष निवासी ग्राम बुद्धसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. मुकेश मीणा पुत्र स्वर्गीय श्री सीताराम मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम बुद्धसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।
2. राकेश मीणा पुत्र स्वर्गीय श्री सीताराम मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम बुद्धसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान
3. रामजीलाल मीणा पुत्र नानगराम मीणा जाति मीणा आयु 38 वर्ष निवासी ग्राम बुद्धसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।
4. जगदीश मीणा पुत्र नानगराम मीणा जाति मीणा आयु 33 वर्ष निवासी ग्राम बुद्धसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान
5. लक्ष्मीनारायण मीणा पुत्र नानगराम मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम बुद्धसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।
6. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, राजस्थान।
7. प्राधिकृत अधिकारी जोन-09, जयपुर विकास प्राधिकरण, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर राजस्थान।
8. उप-पंजीयक प्रथम जयपुर विकास प्राधिकरण, परिसर जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर राजस्थान।
9. तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 90ए उपधारा 9 भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध आज्ञा तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी जोन-09 जयपुर विकास प्राधिकरण आदेश दिनांक 07.01.2021 पत्रावली संख्या 17/2018 उनवानी रामजीलाल व अन्य बनाम जेडीए।

उपस्थित—

1. श्री नाहर सिंह माहेश्वरी वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से।
2. श्री आशीष कुमार गौतम, वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 6 व 7 की ओर से
3. राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 8 व 9 की ओर से

निर्णय

दिनांक —15.01.2025

1. यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी जोन-09, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के निर्णय दिनांक 07.09.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्राधिकृत अधिकारी, जोन-09 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्रवण लाल मीणा पुत्र श्री

कानाराम मीणा द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश प्राधिकृत अधिकारी, जोन-09, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर दिनांक 07.09.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। प्रकरण फरवरी 2021 से लम्बित है। अपीलांत/वकील अपीलांत की ओर से काफी समय से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण में प्रस्तुत अपील के आधार पर ही गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं। रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
4. अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार अपीलान्त द्वारा रेस्पोंडेन्ट्स के विरुद्ध आराजी खसरा संख्या 266, 274, एवं 275 कुल किता 3 कुल रकबा 21 एयर जिसमें 200 फिट रोड निकलने के पश्चात नये खसरा संख्या 266/1 रकबा 2 एयर, खसरा संख्या 274/1 रकबा 16 एयर, खसरा संख्या 275 रकबा 3 एयर कुल किता 3 कुल रकबा 21 एयर वाके ग्राम बुद्धसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर बाबत इकरारनामा व रसीद दिनांक 14.03.2007 विशिष्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम अनुपालना बाबत संख्या-19 जयपुर महानगर सांगानेर हाल न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या-10 जयपुर महानगर- प्रथम के समक्ष रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध बउनवानी वाद श्रवणलाल मीणा बनाम मुकेश मीणा व अन्य के नाम से प्रस्तुत किया था। उक्त उनवानी वाद मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय क्रम संख्या-19 जयपुर महानगर द्वारा दिनांक 05.11.2019 को सभी पक्षकारो को गुणावगुण पर सुना जाकर आदेश पारित किया की "एतद्वारा प्रार्थी श्रवणलाल मीणा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या एक लगायत पांच को दौराने निस्तारण मूल वाद विवादग्रस्त सम्पति का अंतरण/बेचान/हस्तांतरण तृतीय पक्ष को नही करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। विपक्षी संख्या 6 व 7 विधिनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त प्रकरण में उपरोक्त श्रवण बनाम मुकेश उनवानी वाद लम्बित रहने के दौरान माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या-19 जयपुर महानगर के उपरोक्त स्थगन आदेश दिनांक 05.11.2019 प्रभावी रहने के दौरान रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 द्वारा दिनांक 07.01.2021 भूमि कि किस्म परिवर्तन कर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के खातेदारी अधिकार समाप्त कर भूमि का स्वामित्व व खातेदारी अधिकार अंतरण कर जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम नामान्तरण खोला जाने बाबत आदेश पारित कर रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 द्वारा रिकोर्ड में जरिये नामान्तरण स्वामित्व हस्तान्तरण के भी आदेश पारित किये जा चुके है। रेस्पोंडेन्ट प्राधिकृत अधिकारी-09 द्वारा आदेश दिनांक 05.11.2019 लम्बित रहने के दौरान आपसी मिलीभगत कर विवादित भूमि जेडीए को समर्पित कर वाद लम्बित रहने के दौरान ही भूमि का स्वामित्व खातेदारी अधिकार हस्तान्तरण कर दिये है। आज्ञा सुयोग्य प्राधिकृत अधिकारी जोन-09, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर दिनांक 07.01.2021 विधि में वर्णित सभी प्रावधानो के एवं वस्तुस्थिती व राजस्व रिकोर्ड में अंकित इन्द्राज व सिविल न्यायालय आदेश दिनांक 07.01.2021 के विपरित है और इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रकरण में दिनांक 29.01.2020 कि आदेशिका में इकरारनामा सादा कागज पर मानते हुए अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर सिविल न्यायालय के निर्णय से पूर्व ही उसकी अधिकारिता में हस्तक्षेप करते हुए पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपीलान्त को गलत मानकर आपति का निस्तारण गलत रूप से निस्तारित किये जाकर आदेश दिनांक 07.01.2021 पारित किये जाने से आदेश दिनांक 07.01.2021 निरस्त किये जाने योग्य है। सुयोग्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आपतीयो के होने के बावजूद दिनांक 14.03.2018 कि आदेशिका में कार्यवाही ड्राप किये जाने के बावजूद गलत रूप से उक्त आदेश दिनांक 07.01.2021 पारित किया

संभागीय आयुक्त
जयपुर

जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आपति के बावजूद अपीलान्त को बिना पक्षकार बनाये जाने व सरसरी तोर पर अपीलान्त कि आपति निरस्त किये जाने से अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2021 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर प्राधिकृत अधिकारी जोन-09 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी अनुज्ञा निर्णय दिनांक 07.01.2021 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने कृपा करें।


5. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने अपीलान्त की अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि यह कि अपीलान्त द्वारा विक्रय इकरारनामा के आधार पर यह अपील इस कथन के साथ प्रस्तुत की गई थी कि अपीलांत ने न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-10 सांगानेर के समक्ष संविदा की विशिष्ट पालना का वाद प्रस्तुत कर रखा है। इस प्रकार अपीलांत के कथनों से स्पष्ट है कि अपीलांत का भूमि पर कोई स्वत्व व अधिकार नहीं था एवं ना है। अपीलान्त का वाद माननीय उच्चतम न्यायालय तक खारिज हो चुका है। अपीलान्त ने माननीय न्यायालय से समस्त तथ्य दौराने अपील छिपाये है। अपीलांत द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-10 सांगानेर के समक्ष वाद संख्या 70/2018 प्रस्तुत किया गया जो कि न्यायालय द्वारा दिनांक 12.07.2022 को खारिज किया जा चुका है। जिसकी अपीलांत द्वारा प्रथम अपील माननीय राज. उच्च न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 786/2022 प्रस्तुत की गई जो भी न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है तथा उसके उपरान्त अपीलांत द्वारा प्रस्तुत की गई एस.एल.पी संख्या 53088/2023 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी दिनांक 23.02.2024 को खारिज की जा चुकी है। उक्त सभी आदेश मिन रेस्पोंडेंट्स द्वारा श्रीमान के समक्ष पत्रावली में प्रस्तुत किये जा चुके है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलांत का भूमि से कोई सरोकार किसी भी प्रकार का नहीं है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भी उक्त अपील को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अपील में वर्णित भूमि का पट्टा फ्री होल्ड टाउनशिप के अंतर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किया जा चुका है जिसकी प्रति संलग्न है। प्रार्थीगण द्वारा विधिवत ही कृषि भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन हेतु अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-09 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के समक्ष आवेदन पेश किया एवं जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर जोन-09 के द्वारा आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति ली गई एवं आपत्तिकर्ता द्वारा सादे कागज पर प्रस्तुत इकरारनामा पेश किया गया जिसे विधिक नहीं मानते हुये आपत्ति खारिज कर उचित एवं विधिसम्मत अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.01.2021 पारित किया गया है। अपीलांत द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के निर्णय दिनांक 07.01.2021 के खिलाफ बेबुनीयाद गलत नीयत से हैरान व परेशान करने के लिए झूठी अपील पेश की गयी है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त की अपील खारिज की जावे।

6. पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्त द्वारा इकरारनामा व रसीद दिनांक 14.03.2007 के आधार पर अपील प्रस्तुत की है। पत्रावली का अवलोकन से जाहिर होता है कि वाके ग्राम बुद्धसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित खसरा संख्या 266/1 रकबा 2 एयर, खसरा संख्या 274/1 रकबा 16 एयर, खसरा संख्या 275 रकबा 3 एयर कुल कित्ता 3 कुल रकबा 21 एयर अपीलार्थी द्वारा इकरारनामा व रसीद दिनांक 14.03.2007 के के आधार पर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या-10 जयपुर महानगर-प्रथम के समक्ष रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध वाद संख्या 70/2018 बउनवानी वाद श्रवणलाल मीणा बनाम मुकेश मीणा अन्य के नाम से प्रस्तुत किया था। जो कि न्यायालय द्वारा दिनांक 12.07.2022 को खारिज किया जा चुका है। जिसकी अपीलांत द्वारा प्रथम अपील माननीय राज.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उच्च न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 786/2022 प्रस्तुत की गई जो भी न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है तथा उसके उपरान्त अपीलांत द्वारा प्रस्तुत की गई एस.एल.पी संख्या 53088/2023 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी दिनांक 23.02.2024 को खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में माननीय अपर न्यायालयों के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांत का भूमि से कोई सरोकार व संबंध नहीं है। अपीलांत अपीलाधीन आदेश से किसी भी प्रकार से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार नहीं है। प्रकरण में अपीलार्थी का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है। अतः अपीलांत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अपील में वर्णित भूमि का पट्टा फ्री होल्ड टाउनशिप के अंतर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-09 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्तिकर्ता से आपत्ति लिये जाने के उपरान्त ही उचित एवं विधिसम्मत अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.01.2021 पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। उक्त अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपीलांत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सी.पी.सी. खारिज किया जाकर अपील अपीलांत खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-09 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर का निर्णय दिनांक 07.01.2021 यथावत रखा जाता है।


(संभागीय आयुक्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


संभागीय आयुक्त,
जयपुर